24/3/25 पे. 21/3/25 को अवकाश होने से पत्रावली प्रस्तुत

[redacted]

28.3.25

पत्रावली पेश हुई।

पक्षकारान वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 7 नि. 11 सपठित सी.पी.सी. 151 पर बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 131 रकबा 22.9271 हैक्टयर ग्राम एड सिणधरी तहसील सिणधरी में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, पानी का टांका व पशुओं का बाड़ा इत्यादि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत पर आने–जाने हेतु रास्ता विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 479/129 रकबा 1.7444 हैक्टयर में से होकर सरकारी रोड़ तक आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण बरसात व काश्त के समय चारों ओर बाड़ कर देते है, जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, ऐसी स्थिति में प्राप्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रास्ता दिलवाया जावे।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी की बहस है कि प्रकरण मे वर्णित तथ्यों में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है । प्रार्थीगण द्वारा दुरभीसंधि व पक्षकारों के कुसंयोजन से पेश किया है। कि विप्रार्थीगण भी खेत खसरा संख्या 131 के सहखातेदार है तथा इसके अलावा भी वादग्रस्त भूमि के कुल 22 खातेदार है जबकि प्रार्थी ने मात्र 16 खातेदारों को ही पक्षकार बनाया है। इस प्रकार प्रार्थी ने जानबूझकर हितबद्व खातेदार को पक्षकार नही बनाया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व विभाजन का वाद अनवान वीराराम बनाम अर्जुनराम न्यायालय हाजा में विचाराधीन है, उक्त वाद के निर्णय से ही तय होना है कि प्रार्थी संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 131 में विभाजन में भूमि कहां पर प्राप्त कर रहा है। उक्त आवेदन के तथ्यों के सन्दर्भ में विभाजन के उपरांत ही वाद हेतु सृजित होगा, ऐसी स्थिति में वाद हेतुक के अभाव में आवेदन पत्र खारिज योग्य है। साथ ही प्रकरण में मौका रिपोर्ट का आदेश पक्षकारों की सुनवयी एवं नोटिस दिये बगैर पारित हफआ है, जो एकतरफा तथा सुनवायी का अवसर दिये बगैर पारित हुआ है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों में जब तक की उक्त विभाजन के वाद का विधिवत निर्णय नहीं हो तक तब उक्त आवेदन की कार्यवाही को स्थगित रखा जाये अथवा खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी ... अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 131 रकबा 22.9271 हैक्टयर ग्राम एड सिणधरी ... आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु इसी खाते के ... के पक्षकारान के मध्य खातेदारी जोत का विभाजन हेतु वाद अनवान वीराराम बनाम अर्जुन... विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात कह संतुष्टि है कि पक्षकारान के मध्य जब विभाजन का वाद विचाराधीन है तथा वादग्रस्त भूमि के समस्त हितबद्व पक्षकारों को आवेदन में संयोजित नहीं किया गया होने के बावजूद भी खेत खसरा संख्या 131 से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु रास्ते की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

115/2024

इस्तदुआ चाहते है, विचाराधीन उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान यदि प्राप्त मौका रिपोर्ट पर कोई निर्णय पारित किया जाता है अथवा विचाराधीन अन्य विभाजन के वाद में मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ़ जायेगी तथा विवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब की प्रबल सभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन के अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखा जाना न्यायिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है।

लिहाजा उपरोक्त स्थिति को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन न्यायालय हाजा में विचाराधीन विभाजन के वाद अनवान वीराराम बनाम अर्जुनराम के निर्णयाधीन रखते हुए खारिज किया जाकर वकुलाय फरिकेन को सूचित किया जाता है कि विचाराधीन वाद के निर्णय के अनुसरण में यदि वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हो तो इसी आवेदन को पुनः बरादमगी करवाते हुए इस्तदुआ के अनुरूप आगामी आवश्यक कार्यवाही करवाने के लिए स्वतन्त्र है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:21 IST
Reason: SelfAttested